न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

अपील सं0 50/2012

गजानन्द उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र बद्री जाति माली निवासी ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा ...अपी0

बनाम

1. नाथी उम्र लगभग 65 वर्ष बेवा बद्री जाति माली निवासी ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
2. झूमर लाल उम्र लगभग 49 वर्ष पुत्र गौरीलाल जाति माली निवासी मारूती कॉलोनी बजरंग
   मैदान के पास दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
3. श्रीमति संतोष देवी उम्र लगभग 45 वर्ष पत्नि झूमर लाल जाति माली निवासी मारूती कॉलोनी
   बजरंग मैदान के पास दौसा जिला दौसा
4. घनश्याम उम्र लगभग 39 वर्ष पुत्र बद्री जाति माली निवासी ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा
   जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा तहसील दौसा ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 322
दिनांक 05.11.2005 व न्यायालय तहसीलदार, दौसा

उपस्थिति– 1. श्री सुशील कुमार मिश्रा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री नरेन्द्र तिवाडी, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय दिनांकः11.10.17

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 05.11.2005 को नामान्तरकरण सं0 322 अप्रार्थी के नाम मुताबिक मुख्त्यारआम द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक कर दिया गया । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि आराजी खसरा नंबर 171 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 145 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 655 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 670 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 166/3 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम जीरोताखुर्द तहसील व जिला दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 नाथी व 4 घनश्याम 1/3–1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम जीरोताखुर्द तहसील दौसा में खसरा नंबर 154 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 168 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 169 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.17 है0 स्थित है। जिसमें अपीलांट का हिस्सा 1/6 का 1/3 रेस्पोडेंट संख्या 01 नाथी व 4 घश्याम का क्रमशः हिस्सा 1/6 का 1/3 है। अपीलांट का जन्म दिनांक 09.07.93 का है एवं अपीलांट 19 वर्ष 3 माह का है। अपीलांट के उपरोक्त हक व हिस्से को रेस्पो0 सं0 एक नाथी को रहन बय व हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं था क्योंकि अपीलांट तत्समय नाबालिग था। इसलिए नाबालिग की सम्पत्ति को रहन बय हस्तान्तरण करने के लिए कानून रुप से सक्षम नहीं थी। हिन्दू माईनरटी एण्ड गारजियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 के अंतर्गत नाबालिग की सम्पत्ति को रहनबय या हस्तान्तरित करने से पूर्व जिला न्यायालय की अनुमति लिया जाना आवश्यक प्रावधान रखा गया है। रेस्पो0 सं0 एक व 4 ने दिनांक 08.04.2005 को ग्राम जीरोताखुर्द की भूमि का कूट रचित दस्तावेजात तैयार कर रेस्पो0 सं0 3 संतोष देवी पत्नी झूमरलाल सैनी के नाम बेचान कर दिया गया । तत्समय अपीलांट नाबालिग था उसका 1/3 हिस्से का कोई बेचान रेस्पो0 सं0 एक द्वारा नहीं किया गया। इस आशय का नोट भी विक्रय पत्र पर अंकित हो रहा है। तहसीलदार दौसा ने कथित विक्रय पत्र के आधार पर अपने आदेश दिनांक 05.11.2005 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 322 वाके ग्राम जीरोताखुर्द तहसील दौसा बिना अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट नाबालिग होने के बावजूद खोल दिया गया। जबकि न्याय का यह सामान्य सिद्धांत है कि नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसान की, कब्जे की जांच कर समस्त विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके ही नामांतकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के समस्त सिद्धांत को अनदेखा कर जेर अपील नामांतकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रूटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पो0 की बहस में दलील है कि उनवानी अपील अपीलांट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण के विरुद्ध पेश की गई है। प्रश्नगत नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2005 के आधार पर खोलना बताया गया है जबकि इसी कृषि भूमि के संबंध में विवाद के संबंध में व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने बाबत इसी अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय

जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दौसा के समक्ष वाद सं0 39/12 व प्रार्थना–पत्र टीआई मु0 नं0 62/12 प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें विक्रय पत्र निरस्त कराने बाबत

अनुतोष चाहा गया है, जो अभी लम्बित है। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 03.08.2017 नियत है। प्रार्थना पत्र टीआई में मिन अप्रार्थीगण के अलावा राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर दौसा व तहसीलदार जी व उप पंजीयक, दौसा पक्षकार है व विवादित कृषि भूमि की रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु आदेश प्रसारित कर रखे है। ऐसी सूरत में नियमित वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है तथा विक्रय पत्र निरस्त हुए बिना अपील नामान्तरकरण चलने योग्य नहीं है। अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

बहस उभय पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित नामान्तरकरण सं0 322 दिनांक 05.11.2005 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2005 के आधार पर खोला गया है तथा इसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु अपीलांट ने नियमित सिविल वाद संख्या 39/12 व प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नंबर 62/12 दिनांक 26.10.2012 से प्रस्तुत कर रखा है जो अभी लम्बित है। तथा प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पक्षकारान को विवादित भूमि के संबंध में रिकॉर्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबंद कर रखा है। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में जब तक सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नहीं कर दिया जावें व नियमित वाद का अन्तिम रुप से निस्तारण नहीं हो जावें तब तक अपील चलने योग्य नहीं है। अतः उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं कानूनी बिंदुओं के आधार पर नियमित वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित होने के फलस्वरुप तथा विक्रय पत्र निरस्त हुए बिना अपील नामान्तरकरण चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.11.2005 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 11 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गयाः ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा